

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के 300 रिक्त पदों की नियमित भर्ती हेतु अनंतिम मेरिट सूची में अभ्यर्थियों से प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण**

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
1	2	3	4	7	8	9
1	107	10848	डॉ. प्रियांशी जोशी	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि जारी की गई 300 चिकि.अधि. के नियमित पद की प्रोविजनल सूची में मेरे नाम के आगे लिखा गया है कि मेरी नियुक्ति दिनांक 27.10.2020 के आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 में हो गई है लेकिन उस लिस्ट में मेरा नाम कहीं नहीं है। जांच किए जाने का निवेदन किया गया है।	शासन के नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के द्वारा प्रियांशी जोशी की नियुक्ति नहीं की गई है। अतः अभ्यावेदन मान्य योग्य।	मान्य
2	1004	10385	डॉ. इज्जापवार महेश अशोकराव	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरे द्वारा प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एवं छ.ग. मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेशन जमा किया गया है साथ ही मेरे द्वारा अनुसूचित जनजाति श्रेणी में फार्म भरा गया था तो अनारक्षित वर्ग में मेरा नाम क्यों है। मेरे पास कैटेगरी प्रमाण पत्र है।	अभ्यर्थी द्वारा पी.जी. का प्रोविजनल प्रमाण पत्र एवं उनका पंजीयन अपलोड किया गया है। जिसके आधार पर अनुभव का 10 दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय सामान्य वर्ग में आवेदन प्रस्तुत किया था। अभ्यावेदन के समय भी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः संवर्ग में संशोधन किया जान संभव नहीं है।	पी.जी. का अंक हेतु मान्य। संवर्ग हेतु अमान्य।
3	457	10555	डॉ. प्रितेश मसीह	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मैंने चिकित्सा अधिकारी के 300 पदों में आवेदन किया है मेरा रजिस्ट्रेशन नं. 10555 है। मेरा नाम मेरिट सूची में नहीं है। सूची में नाम न होने से देखे जाने का निवेदन किया गया है।	जारी अनंतिम मेरिट सूची के सरल क्रमांक 457 में अभ्यर्थी का नाम अंकित है।	अमान्य
4	705	10363	डॉ. राकेश सोनी	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरे द्वारा राजस्थान शासन द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। जब मेरा चयन हो जाएगा तब ज्वार्निंग के 02 माह के अंदर छ.ग. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया जाएगा। कृपया अपात्र किए जाने का कारण बताने का निवेदन किया गया है। किंतु अभ्यर्थी द्वारा कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड नहीं किया गया है।	ऑनलाईन आवेदन के समय आवेदक द्वारा किसी भी मेडिकल कॉउंसिल का पंजीयन अपलोड नहीं किया था। साथ ही दावा-आपत्ति के अभ्यावेदन के साथ भी किसी भी मेडिकल कॉउंसिल का पंजीयन अपलोड नहीं किया गया है।	अमान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
5	39	10311	डॉ. प्रज्ञा वर्मा	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि अनंतिम सूची में मेरा नाम स.क्रं. 39 में है। मुझे दिनांक 27.10.2020 को चिकि.अधि. के पद पर नियुक्त बताया जाकर इस सूची में अपात्र दर्शाया गया है, जबकि अपरिहार्य कारणों से मैं उस समय सेवा ग्रहण नहीं कर पायी थी। वर्तमान में मैं किसी शासकीय सेवा में नहीं हूँ। इसलिए चिकित्सा अधिकारी की वर्तमान रिक्तियों के लिए मैं स्वयं का पात्र होने का दावा करती हूँ। अतः शासकीय सेवा में पदस्थ नहीं होने के कारण वरीयता सूची में मेरा नाम पात्र उम्मीदवार में दर्ज किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
6	2		डॉ. नवहरि चन्द्रा	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि चिकि. अधि. के 300 पदों की भर्ती में जारी दावा आपत्ति सूची में स.क्रं. 02 में दर्शित चिकित्सक एम.बी.बी. एस. डॉक्टर नहीं है और ना ही छ.ग. मेडिकल काउन्सिल में रजिस्ट्रेशन है। (Doctor of medicine in ACUPUNCT)	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि चिकि. अधि. के 300 पदों की भर्ती में जारी दावा आपत्ति सूची में स.क्रं. 02 में दर्शित ग्लाडविन गुनशेलन एम.बी.बी.एस. डॉक्टर नहीं है और ना ही छ.ग. मेडिकल काउन्सिल में रजिस्ट्रेशन है। जिसके कारण अनंतिम मेरिट सूची के सरल क्रमांक 2 में उल्लेखित अभ्यर्थी Dr. GLADWIN GUNASEELAN को अपात्र किया गया।	मान्य
7	89	10907	डॉ. विजयेन्द्र गोस्वामी	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि दिनांक 27.10.2020 के नियमित चिकि. अधि. की नियुक्ति आदेश में मुझे 15 दिवस के भीतर सिविल अस्पताल देवभोग, जिला गरियाबंद में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु आदेशित किया गया था, किंतु पारिवारिक कारणों 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने से उक्त आदेश स्वतः निरस्त माने जाने का लेख है, चूंकि चिकि.अधि. के 300 पदों की भर्ती में मेरा स.क्रं. 89 है जिसमें मुझे अपात्र घोषित किया गया है अतः मेरी आपत्ति स्वीकार कर मुझे पात्र घोषित किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
8	1047	10462	डॉ. एकता तिवारी	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि चिकि. अधि. के आदेश क्रं. एफ 01-68/2020/विज्ञप्त/ 2355, दिनांक 14.10.2020 में मेरा रजि. आईडी 10462 है मेरे द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जमा किया गया है जिसकी मेरिट सूची में शून्य अंक का अनुभव दिया गया है। अभ्यर्थी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश शासन के स्वा.एवं परि.क.वि. में दिनांक 22.07.2015 से चिकि.अधि. के पद पर कार्यरत है। उनके द्वारा दिनांक 12.11.2020 को हिमाचल प्रदेश शासन को नियमानुसार त्यागपत्र हेतु एक माह का नोटिस दिया गया है। पात्र सूची में सम्मिलित किए जाने का निवेदन किया गया है।	विज्ञापन के कण्डिका 8.2 (1) में छ.ग. राज्य के शासकीय चिकित्सालयों/संस्थाओं में कार्यरत संविदा/तदर्थ चिकित्सकों को ही अनुभव के अंक दिये जाने का प्रावधान है। डॉ. एकता तिवारी, द्वारा हिमाचल प्रदेश का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः अभ्यर्थी को अनुभव के अंक दिया जाना संभव नहीं है।	अमान्य
9	137	10977	डॉ. तजम्मूल हुसैन	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरे द्वारा चिकि.अधि. के 300 पदों पर आवेदन किया गया है जिसकी मेरिट सूची में मेरा रजि.नं. 10977 व स. क्रं. 137 है। निवेदन किया है कि माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न करें।	डॉ. तजम्मूल हुसैन द्वारा माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। विज्ञापन के कंडिका 8.1 (IV) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार माइक्रोबायोलॉजी विषय में पी.जी. के अंक दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अभ्यावेदन अमान्य योग्य है।	अमान्य
10	19	10823	डॉ. पुन्यजा सिंह	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि अनंतिम सूची में मेरा नाम स.क्रं. 19 में है। मुझे दिनांक 27.10.2020 को चिकि.अधि. के पद पर नियुक्त बताया जाकर इस सूची में अपात्र दर्शाया गया है, जबकि अपरिहार्य कारणों से मैं उस समय सेवा ग्रहण नहीं कर पायी थी। वर्तमान में मैं किसी शासकीय सेवा में नहीं हूँ। इसलिए चिकित्सा अधिकारी की वर्तमान रिक्तियों के लिए स्वयं के पात्र होने का दावा करती है। अतः शासकीय सेवा में पदस्थ नहीं होने के कारण वरीयता सूची में मेरा नाम पात्र उम्मीदवार में दर्ज किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
11	453	10046	डॉ. रोहित कुमार तातेड़	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि दावा आपत्ति के पात्र-अपात्र सूची में मेरा रजि.क्रं. 10046 व स.क्रं. 453 है। जारी मेरिट सूची में मुझे स्नातकोत्तर का अंक (10 अंक) नहीं दिया गया है, जबकि मेरे द्वारा आवेदन के साथ स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र (एम.डी. मेडिसिन) की सत्यापित प्रति भी संलग्न की गई थी। दावा आपत्ति हेतु उक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।	अभ्यावेदन के साथ एम.डी. का रजिस्ट्रेशन अपलोड नहीं किया गया एवं एम.डी. का पासिंग अंकसूची संलग्न किया गया है। जिसके कारण पीजी का अंक दिया जाना संभव नहीं है।	अमान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
12	1024	10513	डॉ. अर्जुन सोनवानी	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि चिकि.अधि. के 300 पदों में मेरा रजि. क्रं. 10513 है। जिसमें गलती से कुल अंक 1342 था, चूंकि मेरा सही कुल अंक 1331 है। अतः मेरा रजि. फार्म 11036 को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा दो बार आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत दावा-आपत्ति के आधार पर रजिस्ट्रेशन क्रमांक 11036 में अंकित जानकारी मान्य किया गया है।	मान्य
13			डॉ. राजन सिन्हा	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि चिकि.अधि. के 300 पदों पर जारी अनंतिम मेरिट सूची पर 7 बिन्दुओं में दावा आपत्ति किया है।	अनंतिम मेरिट सूची अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन के आधार पर तैयार की गई है। दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त मेरिट सूची में संशोधन संभावित है। दस्तावेज सत्यापन उपरान्त दस्तावेज गलत पाये जाने पर समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	अमान्य
14	886	11137	डॉ. मोह. शमीम शौकत	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि एमबीबीएस में 2850 अंक में उन्हें 1859 अंक प्राप्त हुआ है जिसका प्रतिशत 65.22 है। आवेदक द्वारा गलती से 2850 अंक में प्राप्तांक 1614 हो गया था। जिसका प्रतिशत 56.63 है एवं अनुभव के अंक भी मेरिट सूची में नहीं जुड़ा है। अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया है।	अभ्यावेदन के साथ एमबीबीएस के प्राप्तांक अंकों के संबंध में कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त सही पाये जाने पर चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा। 01 वर्ष के अनुभव के 03 अंक के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है अतः अनुभव के 03 अंक दिया गया।	एमबीबीएस के प्राप्तांक हेतु अमान्य एवं अनुभव के अंक हेतु मान्य
15	541	11000	डॉ. नेहा शर्मा	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि वह सामु.स्वा.केन्द्र छुरा, जिला गरियाबंद में संविदा चिकि.अधि. के पद पर दिनांक 25.06.2019 से कार्यरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर द्वारा जारी अनुभव सह अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कार्यभार दिनांक 25.06.2020 अंकित हो गया था जिसे संशोधित अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिनांक 25.06.2019 किया गया है। इस प्रकार कार्य करते 01 वर्ष से अधिक हो गया है अतः 01 वर्ष के अनुभव का अंक प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।	दावा-आपत्ति के अभ्योवेदन के समय प्रस्तुत संशोधित अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 01 पूर्ण वर्ष का अनुभव के 03 अंक दिया गया।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
16	510	10620	डॉ. संध्या मिंज	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि दिनांक 27.10.2020 के नियमित चिकि. अधि. की नियुक्ति आदेश के 158 में उनकी पदस्थापना चिकि.अधि. के पद पर सामु.स्वा.केन्द्र शंकरगढ़, जिला बलरामपुर किया गया था, किंतु पारिवारिक कारणों से उपस्थिति नहीं देने से पदस्थापना स्थल में संशाधन हेतु दिनांक 10.11.2020 को संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को पत्र लिखा गया था, किंतु संशाधन न होने व सूचना के अभाव में आज दिनांक तक उपस्थिति नहीं दी गई। अतः उपरोक्त तथ्यों को सत्य मानते हुए पात्र की सूची एवं चयन प्रक्रिया में शामिल किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
17	497	11153	डॉ. रितेश कुमार सिंह	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र व आवेदन फार्म संलग्न किया है। छायाप्रति प्राप्त।	दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत डीन चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा का अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ण 01 वर्ष के अनुभव के 03 अंक अंक दिया गया।	मान्य
18	284	10132	डॉ. दीपांकर मिश्रा	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि ऑनलाईन आवेदन जमा करते समय वे मेडिकल काउन्सिल का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाये थे। अतः मेडिकल काउन्सिल का प्रमाण पत्र (उत्तरप्रदेश) की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर पात्र सूची में शामिल किए जाने का निवेदन किया है।	दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण के आधार पर पात्र किया गया।	मान्य
19	547	11184	डॉ. बालवीर कुमावत	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 11184 व स.क्रं. 547 पर है। मेरा जन्मतिथि 20.08.1995 है। मेरे पास छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का रजि. नहीं है, किंतु मेरिट सूची में छ.ग. मेडिकल काउन्सिल दर्शाया गया है। जिसे सही किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. बालवीर कुमावत द्वारा छ.ग. मेडिकल काउंसिल में पंजीयन नहीं है। अनंतिम मेरिट सूची ऑनलाईन आवेदन भरे द्वारा आवेदन के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा छ.ग. मेडि. कौंसिल के कॉलम में हों डाला गया है। आवेदक द्वारा राजस्थान मेडिकल कौंसिल का पंजीयन अपलोड किया गया है। जिसे मान्य किया गया है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
20	557	10994	डॉ. निधिषा शर्मा	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम निधिषा शर्मा रजि.नं. 10994, स.क्रं. 557 पर है। जिसमें अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अनुभव अंक जोड़े जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. निधिषा शर्मा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर अनुभव के अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। डॉ. निधिषा शर्मा द्वारा ऑन लाईन आवेदन में अनुभव के वर्ष एवं माह अंकित नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र शंकरपुर, जिला राजनांदगांव का अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो विज्ञापन में अनुभव हेतु उल्लेखित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अतः अनुभव का अंक दिया जाना संभव नहीं है।	अमान्य
21	1026	10573	डॉ. मोहनिश कुर्रे	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि वर्तमान में उनका इन्टर्नशीप दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल नई दिल्ली में चल रहा है। इन्टर्नशीप, दिल्ली मेडिकल काउन्सिल एवं एम.बी.बी.एस. प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।	डॉ. मोहनिश कुर्रे द्वारा एन.बी.ई. का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है एवं अवगत कराया गया है कि उनका इन्टर्नशीप दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल नई दिल्ली में चल रहा है। आवेदक द्वारा इन्टर्नशीप पूर्ण नहीं किया गया है साथ ही स्थायी पंजीयन भी नहीं है।	अमान्य
22	0	10178	डॉ. रजत सोलोमॉन	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि वर्ष 2020-21 के चिकि.अधि. के पद पर आवेदन किया गया था, जिसमें मेरा रजि.नं. 10178 है, किंतु अंतिम मेरिट सूची में मेरा नाम नहीं दर्शाया गया। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो अंतिम सूची जारी होने के पूर्व मेरी समस्या का निराकरण किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया गया है। जिसके कारण उनका नाम सूची में सम्मिलित नहीं है। अभ्यर्थियों के पात्र-अपात्र सूची में नाम जोड़ा जाना संभव नहीं है।	अमान्य
23	638	10524	डॉ. कानी दयाल खरे	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10524, स.क्रं. 638 पर अंकित है। मेरे द्वारा एम.एस. जनरल सर्जरी पूर्ण किया गया है। स्थायी रजि. प्रमाण पत्र लंबित होने के कारण दिनांक 30.10.2020 को प्राप्त होने से छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का एडिशनल रजि. प्रमाण पत्र एवं छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का रजि. प्रमाण पत्र दोनों संलग्न किया है।	दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत पीजी का पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें पीजी का 10 अंक दिया गया।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
24	387	10058	डॉ. आलोक मिंज	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि ऑनलाईन आवेदन में कम्प्यूटर की त्रुटि के कारण एम.सी.आई. पंजीकरण अपलोड करने में असफल रहा। सी.जी. एम.सी.आई. पंजीकरण एवं 02 साल का अनुभव प्रमाण पत्र को संलग्न कर नियमित चिकि.अधि. की प्रक्रिया में शामिल किए जाने का निवेदन किया गया है। किंतु छायाप्रति संलग्न अप्राप्त है।	डॉ. आलोक मिंज द्वारा सी.जी.एम.सी. का पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड नहीं किये जाने के कारण अपात्र किया गया। दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को पात्र किया गया।	मान्य
25	856	10773	डॉ. घनश्याम यादव	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि उनका मेडिकल काउन्सिल का स्थायी रजि. राजस्थान का है, छ.ग. का नहीं। अचानक से छ.ग. मेडिकल काउन्सिल चिन्हित हो गया। राजस्थान मेडिकल काउन्सिल का रजि. की छायाप्रति संलग्न कर पात्र किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि उनका मेडिकल काउन्सिल का स्थायी रजि. राजस्थान का है, छ.ग. का नहीं। डॉ. यादव द्वारा राजस्थान का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न कर अनंतिम सूची में पात्र करने हेतु निवेदन किया गया है। डॉ. घनश्याम यादव अनंतिम मेरिट सूची में पात्र है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
26	174	10166	डॉ. दयानंद होता	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम अनंतिम मेरिट सूची में रजि. नं. 10166, स.क्रं. 174 पर है। डिग्री (एम.डी.) प्रमाण पत्र एवं छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का रजि. की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित किया है।	दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत एम. डी. पिडियाट्रिक्स एवं मेडिकल कौंसिल के पंजीयन के आधार पर अनुभव का 10 अंक दिया गया।	मान्य
27	150	10002	डॉ. शुभांगी तिवारी	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि क्या AIIMS में कार्य के अनुभव को मान्य नहीं किया जावेगा? दिनांक 21.07.2020 को जारी AIIMS में कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (दिनांक 23.07.2019 से 22.06.2020 तक) की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया गया है।	डॉ. शुभांगी तिवारी द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 21.07.2020 को जारी AIIMS में कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (दिनांक 23.07.2019 से 22.06.2020 तक) की छायाप्रति संलग्न कर अनुभव के अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। विज्ञापन में अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक को ही अनुभव के अंक दिये जाने का प्रावधान है। अतः अनुभव का अंक दिया जाना संभव नहीं है।	अमान्य
28	514	10847	डॉ. शिल्पी नेताम	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि आदेश दिनांक 27.10.2020 में नियुक्ति होने के कारण अनंतिम मेरिट सूची के स.क्रं. 514 पर मुझे अपात्र घोषित किया गया है। दिनांक 27.10.2020 के स.क्रं. 160 पर मेरी पदस्थापना 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्प. लोरमी, जिला मुंगेली में की गई थी, किंतु पारिवारिक कारणों से पदस्थापना संशोधन हेतु पत्र दिया गया था, संशोधन नहीं होने के कारण आज तक उपस्थिति नहीं दी गई। उपरोक्त कथन को सत्य मानते हुए पात्र सूची में शामिल किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
29	883	10688	डॉ. आयुश्री राय	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि सीएमओ कोरिया द्वारा दिनांक 08.01.2020 से 08.02.2020 तक 01 माह का अनापत्ति सह सेवा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. द्वारा दिनांक 09.02.2018 से 19.02.2020 तक 02 वर्ष 10 दिन का जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. द्वारा दिनांक 20.02.2020 से अक्टूबर 2020 तक का अनुभव सह अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया है	डॉ. आयुश्री राय द्वारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. द्वारा दिनांक 09.02.2018 से 19.02.2020 तक 02 वर्ष 10 दिन का जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. द्वारा दिनांक 20.02.2020 से अक्टूबर 2020 तक का अनुभव सह अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अनुभव के अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। पूर्ण वर्ष का अनुभव अंक दिया जाना प्रावधानित है। 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जिसका 06 अंक दिया गया।	मान्य
30	1149	10037	डॉ. आदर्श चन्द्रा	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेडिकल काउन्सिल पंजीयन अपलोड ना होने के कारण मुझे अपात्र घोषित किया गया है अतः मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर पात्र घोषित किए जाने का निवेदन किया है।	दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत दिल्ली मेडिकल कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को पात्र किया गया है।	मान्य
31	516	10985	डॉ. एकता निर्मल	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10985, स.क्रं. 516 पर अंकित है। ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति अपलोड नहीं किया गया था, अतः ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर पात्र सूची में शामिल किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10985, स.क्रं. 516 पर अंकित है। ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति अपलोड नहीं किया गया था, अतः ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर पात्र सूची में शामिल किए जाने का निवेदन किया गया है। अभ्यावेदन मान्य योग्य।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
32	230	11264	डॉ. प्रवीण कुमार पाण्डेय	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया है।	डॉ. प्रवीण कुमार पाण्डेय द्वारा ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया है। अभ्यावेदन मान्य योग्य।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
33	1141	10142	डॉ. संध्या कोशले	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि ऑनलाईन आवेदन करते समय दस्तावेज अपलोड नहीं होने के कारण एम.बी.बी.एस., छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन एवं छ.ग. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर पात्र सूची में शामिल किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. संध्या कोशले द्वारा सी.जी.एम.सी. का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसके आधार पर इन्हें पात्रता के श्रेणी में रखा गया है।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
34	113	11154	डॉ. नरेश कुमार पटेल	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 11154 पर अंकित है जिसमें पी.जी. डिग्री के अंक को नहीं जोड़ा गया है। अतः पी.जी. डिग्री प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर पीजी के अंक को जोड़कर पुनः मेरिट सूची में संशोधन किए जाने का निवेदन किया है साथ ही प्रोविजनल पीजी डिग्री प्रमाण पत्र, ऑनलाईन आवेदन की प्रति व छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का रजि. प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया गया है।	डॉ. नरेश कुमार पटेल द्वारा एम.डी. मेडिसिन का प्रमाण पत्र अभ्यावेदन के साथ संलग्न किया गया है, जिसके आधार पर पीजी का 10 अंक दिया गया।	मान्य
35	473	10146	डॉ. दीपक जांगड़े	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10146, स.क्रं. 473 पर अंकित है ऑनलाईन आवेदन के समय मेरे द्वारा पीजी का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया था जिससे अनंतिम मेरिट सूची में पी.जी. के अंक को नहीं जोड़ा गया है। अतः पी.जी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर पीजी के अंक को जोड़े जाने का निवेदन किया है साथ ही प्रोविजनल डिप्लोमा प्रमाण पत्र, छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का रजि. प्रमाण पत्र व डिप्लोमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर पात्र सूची में शामिल किए जाने का निवेदन किया गया है।	दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत पीजी का प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें पीजी का 05 अंक दिया गया।	मान्य
36	814	10762	डॉ. जगन्नाथ पटेल	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
37	839	10776	डॉ. चन्द्र प्रकाश साव	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10776, स.क्रं. 839 पर अंकित है ऑनलाईन आवेदन के समय मेरे द्वारा पीजी का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया था जिससे अनंतिम मेरिट सूची में पी.जी. के 5 अंक को नहीं जोड़ा गया है। अतः पी.जी. (डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स) प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर पीजी का 5 अंक जोड़े जाने का निवेदन कर छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया गया है।	दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत पीजी का प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें पीजी का 05 अंक दिया गया।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
38	88	10628	डॉ. मोनिका एक्का	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि आदेश दिनांक 27.10.2020 में नियुक्ति होने के कारण अनंतिम मेरिट सूची के स.क्रं. 88 पर मुझे अपात्र घोषित किया गया है। दिनांक 27.10.2020 के स.क्रं. 116 पर मेरी पदस्थापना 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्प. भैयाथान, जिला सूरजपुर में की गई थी, किंतु पारिवारिक कारणों से उक्त पदस्थापना स्थल में उपस्थिति नहीं दी गई। अतः उक्त कथन को सत्य मानते हुए पात्र की सूची एवं चयन प्रक्रिया में शामिल किए जाने का निवेदन किया गया है। आदेश दिनांक 27.10.2020 की छायाप्रति, अनंतिम मेरिट सूची व ऑनलाईन आवेदन की प्रति संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
39	421	10020	डॉ. अपूर्वा अतुल	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि दिनांक 09.10.2020 को जारी AIIMS में कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (दिनांक 28.10.2019 से 27.09.2020 तक) की छायाप्रति एवं रामा मेडिकल कॉलेज, रामा यूनिवर्सिटी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया गया है।	डॉ. अपूर्वा अतुल द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 09.10.2020 को जारी AIIMS में कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (दिनांक 28.10.2019 से 27.09.2020 तक) की छायाप्रति एवं रामा मेडिकल कॉलेज, रामा यूनिवर्सिटी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया गया है। विज्ञापन में अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक को ही अनुभव के अंक दिये जाने का प्रावधान है। अतः अनुभव के अंक दिया जाना संभव नहीं है।	अमान्य
40	1131	10236	डॉ. वंदना अग्रहरि	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10236 पर पात्र दर्शाया गया है जिसमें प्राप्त अंक 38.50 है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. द्वारा 02 वर्ष का अनापत्ति सह अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है, किंतु 02 वर्ष के कार्य अनुभव का 06 अंक नहीं जोड़ा गया है। उक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अनुभव के 06 अंक जोड़े जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. वंदना अग्रहरि द्वारा अवगत कराया गया है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. द्वारा 02 वर्ष का अनापत्ति सह अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है, किंतु 02 वर्ष के कार्य अनुभव का 06 अंक नहीं जोड़ा गया है। उक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अनुभव के 06 अंक जोड़े जाने का निवेदन किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अनुभव का 06 अंक दिया गया।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
41	222	10716	डॉ. नवनीत कुमार अग्रहरि	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि वाइस डीन, ग्रांट गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, मुंबई द्वारा (दिनांक 09.07.2019 से 08.07.2020 तक) जारी 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं एम.डी. इन जनरल मेडिसिन का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया है।	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि वाइस डीन, ग्रांट गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, मुंबई द्वारा (दिनांक 09.07.2019 से 08.07.2020 तक) जारी 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं एम.डी. इन जनरल मेडिसिन का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित किया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुभव के वर्ष अंकित नहीं किया गया है तथा एम.डी. इन जनरल मेडिसिन का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। अतः अनुभव का अंक दिया जाना संभव नहीं है तथा प्रस्तुत पीजी प्रमाण पत्र के आधार पर पीजी का 10 अंक दिया गया।	अनुभव हेतु अमान्य। पीजी के अंक हेतु मान्य।
42	428	10383	डॉ. अंकित कुमार गुप्ता	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि ऑनलाईन आवेदन के समय डिग्री प्रमाण पत्र गलती से अपलोड नहीं हो पाया था। अतः एम.डी. पेंड्रिएट्रिक्स डिग्री का प्रमाण पत्र एवं पासिंग सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न कर प्राप्त अंक में डिग्री के अंक को जोड़कर संशोधित मेरिट सूची जारी किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. अंकित कुमार गुप्ता द्वारा एम.डी. पेंड्रिएट्रिक्स डिग्री का प्रमाण पत्र एवं पासिंग सर्टिफिकेट के आधार पर पीजी का 10 अंक दिया गया।	मान्य
43	1152	10427	डॉ. श्रीमती खुशबू उस्मान	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10427, स.क्रं. 1152 में पात्र दर्शाया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र का अनुभव अंकित नहीं होने से सीएमओ रायपुर द्वारा जारी अनापत्ति सह सेवा अनुभव प्रमाण पत्र एवं ऑनलाईन आवेदन की छायाप्रति संलग्न कर अनुभव के अंक को जोड़े जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. श्रीमती खुशबू उस्मान ऑन-लाईन आवेदन करते समय अनुभव के वर्ष अंकित नहीं किया गया है। डॉ. श्रीमती खुशबू उस्मान द्वारा सीएमओ रायपुर द्वारा जारी अनापत्ति सह सेवा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जो विज्ञापन में उल्लेखित अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आता है।	अमान्य
44	1036	10818	डॉ. दिव्या जोशी	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10818, स.क्रं. 1036 में पात्र दर्शाया गया है। ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं होने के कारण ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न प्रेषित कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं होने के कारण ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न प्रेषित कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
45	831	10665	डॉ. राकेश कुमार गुप्ता	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10665, स.क्रं. 831 पर दर्शित है। मेडिकल काउन्सिल का रजिस्ट्रेशन अपलोड नहीं होने के कारण आवेदन को अमान्य कर दिया गया है। अतः छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. राकेश कुमार गुप्ता द्वारा मेडिकल काउन्सिल का रजिस्ट्रेशन अपलोड नहीं होने के कारण अनंतिम मेरिट सूची में अपात्र घोषित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है। दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र किया गया।	मान्य
46	345	10581	डॉ. प्रदीप कुमार जायसवाल	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि ऑनलाईन आवेदन के समय पीजी के दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाया था। अतः पीजी प्रोविजनल प्रमाण पत्र(डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ), पीजी मार्कशीट व पीजी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. प्रदीप कुमार जायसवाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय पीजी के दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया। उनके द्वारा पीजी प्रोविजनल प्रमाण पत्र( डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ), पीजी मार्कशीट व पीजी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर पी.जी. के अंक दिये जाने का निवेदन किया गया है। अतः पी.जी. के 5 अंक दिया गया।	मान्य
47	826	11156	डॉ. नंद किशोर कौशल	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 11156 पर दर्शित है। उनके द्वारा शास.मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम से पास पीजी डिप्लोमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर पीजी के अतिरिक्त अंक दिए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. नंद किशोर कौशल द्वारा शास.मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम से पास पीजी डिप्लोमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर पीजी के अतिरिक्त अंक दिए जाने का निवेदन किया गया है। संलग्न पी.जी. के प्रमाण पत्र के आधार पर पीजी का 5 अंक दिया गया।	मान्य
48	507	10782	डॉ. कृष्णेन्द्र द्विवेदी	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10782, स.क्रं. 507 पर दर्शित है। मध्यप्रदेश मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. कृष्णेन्द्र द्विवेदी द्वारा मध्यप्रदेश मेडिकल काउन्सिल का एम.डी. पिडियाट्रिक्स में पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर पी.जी. का अंक दिये जाने का निवेदन किया गया है। जिसके आधार पर पी.जी. के 10 अंक दिया गया।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
49	246	10610	डॉ. मोनिका भारद्वाज	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि आदेश दिनांक 27.10.2020 के नियमित चिकि. अधि. की नियुक्ति आदेश में मुझे 15 दिवस के भीतर 100 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल कोण्डागांव में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु आदेशित किया गया था, किंतु पारिवारिक कारणों 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने से उक्त आदेश स्वतः निरस्त माने जाने का लेख है, चूंकि चिकि.अधि. के 300 पदों की भर्ती में मुझे अपात्र घोषित किया गया है अतः मेरी आपत्ति स्वीकार कर मुझे पात्र घोषित किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
50	459	11023	डॉ. शिखा सोनी	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि आदेश दिनांक 27.10.2020 के नियमित चिकि. अधि. की नियुक्ति आदेश के स.क्रं. 96 पर मुझे 15 दिवस के भीतर 100 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल अंबिकापुर, जिला सरगुजा में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु आदेशित किया गया था, किंतु पारिवारिक कारणों 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने से उक्त आदेश स्वतः निरस्त माने जाने का लेख है, चूंकि चिकि. अधि. के 300 पदों की भर्ती में मुझे अपात्र घोषित किया गया है अतः मेरी आपत्ति स्वीकार कर मुझे पात्र घोषित किए जाने का निवेदन किया गया है। ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
51	644	11135	डॉ. रसपाल सिंह सुमन	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 11135, स.क्रं. 644 पर दर्शित है जिसमें 01 वर्ष न होना अंकित कर अनुभव के 03 अंक नहीं दिया गया है। ऑनलाईन आवेदन में मेरे द्वारा त्रुटिवश जिला चिकि. जगदलपुर अंतर्गत कार्यरत सेवा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया था। अतः छायाप्रति संलग्न कर अनुभव के 03 अंक प्रदाय किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. रसपाल सिंह सुमन द्वारा डि.एम.एफ मद से दिनांक 01.03.2019 से 31.01.2020 तक एवं दिनांक 20.02.2020 से 30.10.2020 तक कुल 01 वर्ष 07 माह का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर अनुभव के अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। पूर्ण 1 वर्ष का 03 अंक दिया गया।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
52	378	10258	डॉ. श्रवण कुमार	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10258, स.क्रं. 378 पर दर्शित है जिसमें अनापत्ति सह सेवा प्रमाण पत्र सीएमएचओ के द्वारा जारी होने के कारण अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। अनापत्ति सह सेवा प्रमाण पत्र सीएमएचओ के माध्यम से संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में अग्रेसरित कराया था, किंतु जमा नहीं कर पाया था, जिसे दिनांक 02.12.2020 को संचालक के आवक-जावक शाखा में सेवा पूर्ण का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किया गया है। छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अनुभव का अंक प्रदान किए जाने एवं मेरे द्वारा 02 आवेदन(रजि.नं. 10124 व 10258) भरा गया था जिसमें से रजि.नं. 10258 को ही मान्य करने का निवेदन किया गया है।	डॉ. श्रवण कुमार द्वारा ऑन-लाईन आवेदन करने के पश्चात् अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अनुभव के अंक दिया जाना संभव नहीं। अभ्यर्थी द्वारा रजि. क्र. 10258 को मान्य करने हेतु निवेदन किया गया है। ऑनलाईन आवेदन के समय सक्षम अधिकारी का अनुभवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया था। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु दिनांक 02.12.2020 को संचालनालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। अनुभव का अंक दिया जाना संभव नहीं है।	अमान्य
53	1045	11020	डॉ. प्रकाश कुर्रे	अभ्यर्थी द्वारा सी.आर.एम.सी. अंतर्गत जिला बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ ब्लॉक में कार्यरत रहने का लेख करते हुए 2 वर्ष के आधार पर 6 अंक दिये जाने का निवेदन किया गया है। साथ ही अवगत कराया गया है कि मेरिट क्रमांक 128 में दर्शित डॉ. राजेश कुमार पटेल को सी.एच.सी. बसना में कार्यरत रहने के बावजूद 6 अंक दिया गया है। उक्त संबंध में कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी द्वारा अनुभव के अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	डॉ. प्रकाश कुर्रे जिला बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ ब्लॉक में कार्यरत हैं। विज्ञापन में अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक को ही अनुभव के अंक दिये जाने का प्रावधान है। डॉ. राजेश कुमार पटेल (128) सामु. स्वा. केन्द्र बसना, जिला महासमुंद में कार्यरत हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आता है, जिसके कारण डॉ. राजेश कुमार पटेल के अनुभव अंक को विलोपित किया गया है।	अमान्य
54	858	10943	डॉ. चंद्रिका सिंह	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम स.क्रं. 858 पर दर्शित है जिसमें सामु.स्वा.केन्द्र पटना, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में 02 वर्ष कार्य किए जाने का अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अनुभव का अंक प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम स.क्रं. 858 पर दर्शित है जिसमें सामु.स्वा.केन्द्र पटना, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में 02 वर्ष कार्य किए जाने का अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अनुभव का अंक प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है। जिसके आधार पर 02 के अनुभव का 06 अंक दिया गया।	मान्य
55	1116	10924	डॉ. जुनैद मलिक	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि पात्र-अपात्र अनंतिम मेरिट सूची में अनुभव का अंक नहीं जोड़ा गया है। दिनांक 23.02.2017 से आज तक मैं सामु.स्वा.केन्द्र मरवाही, जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में 03 वर्ष 03 महीने से कार्यरत हूँ। छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अनुभव अंक जोड़ने का निवेदन किया गया है।	दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 03 वर्ष के अनुभव का 09 अंक दिया गया।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
56	495	10982	डॉ. निखिल जैन	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10982 पर अपात्र दर्शाया गया है जिसमें नियमित चिकि.अधि. पद पर नियुक्ति होने पर पारिवारिक कारणों से उपस्थिति नहीं दी गई। अतः पीजी अंक सूची एवं एमडी रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर पात्र किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
57	456	11173	डॉ. अमित कुमार पाण्डेय	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 11173 पर दर्शित है जिसमें ऑर्थोपेडिक्स डिग्री का 10 अंक नहीं दिया गया है। अतः छायाप्रति(एम.बी.बी.एस., प्रोविजनल प्रमाण पत्र, छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का रजि. व एम.एस.ऑर्थोपेडिक्स का रजि. प्रमाण पत्र) संलग्न प्रेषित कर 10 अंक दिए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. अमित कुमार पाण्डेय द्वारा एम.एस. ऑर्थोपेडिक्स डिग्री का 10 अंक नहीं दिया गया का लेख करते हुए। छायाप्रति (एम.बी.बी.एस.,) प्रोविजनल प्रमाण पत्र, छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का रजि. व एम.एस.ऑर्थोपेडिक्स का रजि. प्रमाण पत्र) संलग्न प्रेषित कर 10 अंक दिए जाने का निवेदन किया गया है। प्रस्तुत पीजी के प्रमाण पत्र एवं पंजीयन के आधार पर पीजी का 10 अंक दिया गया।	मान्य
58	728	11293	डॉ. रोशन निकुंज	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि आदेश दिनांक 27.10.2020 में नियुक्ति होने के कारण 300 चिकि. अधि. पद के अनंतिम मेरिट सूची में मुझे अपात्र घोषित किया गया है। दिनांक 27.10.2020 अनुसार मेरी पदस्थापना प्रा.स्वा.केन्द्र बिहारपुर, जिला कोरिया में की गई थी, किंतु पारिवारिक कारणों से उपस्थिति नहीं दी गई। उक्त आदेश के तहत 15 दिवस के भीतर उपस्थिति नहीं दिए जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा, का लेख किया गया है। मेरा अनापत्ति सह अनुभव प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रियाधीन है। अनुभव का बोनस अंक जोड़कर पात्र सूची में शामिल किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
59	656	10104	डॉ. दुर्गेश कुमार वर्मा	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम स.क्रं. 656 पर अंकित है अभ्यर्थी नाम के कॉलम में मेरा नाम मिसप्रिंट है। अतः मेरा नाम दुर्गेश कुमार वर्मा सही अंकित करने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम स.क्रं. 656 पर अंकित है अभ्यर्थी नाम के कॉलम में मेरा नाम मिसप्रिंट है। अतः मेरा नाम दुर्गेश कुमार वर्मा सही अंकित करने का निवेदन किया गया है। जिसके आधार पर संशोधन किया गया।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
60	49	10829	डॉ. चंदन बैरागी	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि आदेश दिनांक 27.10.2020 में नियुक्ति होने के कारण 300 चिकि. अधि. पद के अनंतिम मेरिट सूची में मुझे अपात्र घोषित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में पारिवारिक कारणों से उपस्थिति नहीं दी गई। अतः चिकि.अधि. के 300 पदों में नियुक्ति किए जाने हेतु पात्र सूची में शामिल किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
61	82	10973	डॉ. दीप्ति शिखा	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि आदेश दिनांक 27.10.2020 में नियुक्ति होने के कारण 300 चिकि. अधि. पद के अनंतिम मेरिट सूची में मुझे अपात्र घोषित किया गया है। दिनांक 27.10.2020 अनुसार मेरी पदस्थापना जिला मुंगेली में की गई थी, किंतु माँ की अस्वस्थता के कारण उपस्थिति नहीं दी गई। अतः जिला चिकि. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में कार्यार्थ हेतु नवीन नियुक्ति के लिए पात्र स्वीकृत किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
62	444	10958	डॉ. आदर्श प्रिय राय	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा रजि.नं. 10958 पर अंकित है जिसमें सीएमओ बिलासपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को अपलोड किया था किंतु अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। सीएमओ बिलासपुर द्वारा संचालक स्वास्थ्य सेवायें को विलंब से अग्रेषित किया गया था। अतः मुझे अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर मेरा अनुभव आवेदन पत्र में जोड़े जाने का निवेदन किया गया है, ताकि मेरे द्वारा किये गये कार्य अनुभव का लाभ मिल सके। आनूलाईन आवेदन एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय एवं दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अनुभव का अंक दिया जाना संभव नहीं है। □	अमान्य
63	288	10551	डॉ. किशोर कुमार पटेल	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि पिछली भर्ती में मुझे अपात्र घोषित किया गया है। जिससे मैंने उपस्थिति नहीं दी एवं वर्तमान में मैं सामु. स्वा.केन्द्र लैलुगा, जिला रायगढ़ में दिनांक 18.05.2018 से कार्यरत हूँ। अतः मेरी दावा आपत्ति को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है। छायाप्रति संलग्न।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
64	78	11389	डॉ. श्वेता बाखरू	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम स.क्रं. 78 पर अंकित है जिसके रिमार्क में पीजी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने का लेख किया है। अतः पीजी प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. श्वेता बाखरू द्वारा पीजी (डिप्लोमा ई.एन.टी.) प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर स्वीकार अनुभव के अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जिसके आधार पर पीजी (डिप्लोमा ई.एन.टी.) के 5 अंक दिया गया।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
65	542	10052	डॉ. शशांक अग्रवाल	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि चिकि.अधि. के 300 पदों पर मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन अपलोड करने के बावजूद भी अपात्र घोषित किया गया है। अतः छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का रजि. एवं प्रोविजनल रजि. प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर पात्र घोषित किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. शशांक अग्रवाल द्वारा छ.ग. मेडिकल काउन्सिल का रजि. एवं प्रोविजनल रजि. प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर पात्र घोषित किए जाने का निवेदन किया गया है। दावा-आपत्ति में अभ्यावेदन के साथ पंजीयन अपलोड करने पर पात्र किया गया।	मान्य
66	391	10045	डॉ. शशांक दास	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा रजि.नं. 10045 पर अंकित है जिसमें वर्ग जनरल से ओबीसी किए जाने का निवेदन किया गया है। जाति प्रमाण पत्र, सत्यापित जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी नॉनक्रीमी लेयर प्रमाण पत्र एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।	डॉ. शशांक दास द्वारा ऑनलाईन आवेदन में जनरल कैटेगरी से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर ओ.बी.सी. वर्ग में अंकित करने हेतु निवेदन किया गया है। दावा-आपत्ति हेतु अभ्यावेदन के साथ अपलोड जाती प्रमाण पत्र के आधार पर ओ.बी.सी. श्रेणी में रखा गया।	मान्य
67	300	10053	डॉ. अमित पटेल	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि 09 अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आवेदन में निम्नानुसार जॉच किए जाने का निवेदन किया गया है :- 1. रजि.नं. 10204 - प्राप्तांक अमान्य। 2. रजि.नं. 10764 - प्राप्तांक एवं डिग्री अमान्य। 3. रजि.नं. 11072 - प्राप्तांक/पूर्णांक अमान्य। 4. रजि.नं. 11273 - प्राप्तांक/पूर्णांक अमान्य। 5. रजि.नं. 10977 - प्राप्तांक/पूर्णांक अमान्य। 6. रजि.नं. 10212 - दो बार आवेदन किया गया। 7. रजि.नं. 10057 - प्राप्तांक/पूर्णांक अमान्य। 8. रजि.नं. 10505 - दो बार आवेदन किया गया। 9. रजि.नं. 10303 - दो बार आवेदन किया गया।	अनंतिम मेरिट सूची अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन के आधार पर तैयार की गई है। दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त मेरिट सूची में संशोधन संभावित है। दस्तावेज सत्यापन उपरान्त दस्तावेज गलत पाये जाने पर समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	अमान्य
68	239	10542	डॉ. रत्नेश कुमार द्विवेदी	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम स.क्रं. 239 पर अंकित है जिसमें छ.ग. का निवास प्रमाण पत्र नहीं जुड़ा है। अतः छ.ग. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. रत्नेश कुमार द्विवेदी द्वारा छ.ग. के मूल निवासी वाले कॉलम में नो अंकित किया गया है तथा छ.ग. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर छ.ग. के मूल निवासी हेतु आवेदन मान्य किये जाने का निवेदन किया गया है। छ.ग. के मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें छ.ग. क निवासी की श्रेणी में रखा गया।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
69	375	10540	डॉ. गौरव कुमार सिंह	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरे द्वारा दिनांक 01.06.2018 से 31.05.2020 तक ग्रामीण क्षेत्र सामु.स्वा.केन्द्र भैयाथान में 02 वर्ष पूरा किया गया है, किंतु केवल 01 वर्ष का ही अंक दिया गया है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में 02 वर्ष कार्य किए जाने का अंक प्रदाय किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. गौरव कुमार सिंह द्वारा दिनांक 01.06.2018 से 31.05.2020 तक ग्रामीण क्षेत्र सामु.स्वा.केन्द्र भैयाथान में 02 वर्ष पूरा किया गया है, किंतु केवल 01 वर्ष का ही अंक दिया गया है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में 02 वर्ष कार्य किए जाने का अंक प्रदाय किए जाने का निवेदन किया गया है। परन्तु कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में 01 वर्ष का अनुभव अंकित किया गया है इसलिए 01 वर्ष के अनुभव का ही अंक दिया गया है।	अमान्य
70	503	11199	डॉ. धनंजय बड़ई	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 11199 पर अंकित है, जिसमें मुझे अपात्र दर्शाया गया है। आदेश दिनांक 27.08.2020 के तहत चिकि.अधि. के 208 पदों पर प्रा.स्वा.केन्द्र पेण्ड्रावन, जिला दुर्ग में नियुक्ति की गई थी, किंतु कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण मेरे द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई। अतः चिकि.अधि. के 300 पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र घोषित किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
71	72	10870	डॉ. स्मृति पाण्डेय	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि आदेश दिनांक 27.10.2020 में नियुक्त बताया जाकर अनंतिम मेरिट सूची के स.क्रं. 72 पर मुझे अपात्र दर्शाया गया है जबकि अपरिहार्य कारणों से मेरे द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई वर्तमान में मैं किसी शासकीय सेवा में नहीं हूँ। अतः शासकीय सेवा में पदस्थ नहीं होने के कारण वरीयता सूची में पात्र किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है।	मान्य
72	803	10508	डॉ. सुमित भगत	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम स.क्रं. 803 पर दर्शित है जिसके रिमार्क में अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना कहा गया है। मुझे दिनांक 27.11.2017 से 26.11.2019 तक शास.चिकि. महा. अंबिकापुर, जिला सरगुजा सामान्य अनूसूचित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है। निर्धारित प्रारूप में सेवा अनुभव प्रमाण पत्र अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा अनुशंसा सहित संचालक स्वास्थ्य सेवायें के आवक-जावक शाखा में जमा किया गया है अतः छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर 02 वर्ष का अनुभव अंक प्रदाय किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. सुमित भगत को दिनांक 27.11.2017 से 26.11.2019 तक शास.चिकि.महा. अंबिकापुर, जिला सरगुजा सामान्य अनूसूचित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र डीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा द्वारा दिया गया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में आवेदन 07.12.2020 को प्राप्त हुआ है। निर्धारित तिथि के उपरांत एवं सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अनुभव का अंक दिया जाना संभव नहीं है।	अमान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
73	742	10534	डॉ. अजीत लकड़ा	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम स.क्रं. 742 पर दर्शित है जिसके रिमार्क में अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना कहा गया है। मुझे दिनांक 27.11.2017 से 26.11.2019 तक शास.चिकि. महा. अंबिकापुर, जिला सरगुजा सामान्य अनूसूचित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है। निर्धारित प्रारूप में सेवा अनुभव प्रमाण पत्र अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा अनुशंसा सहित संचालक स्वास्थ्य सेवायें के आवक-जावक शाखा में जमा किया गया है अतः छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर 02 वर्ष का अनुभव अंक प्रदाय किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. अजीत लकड़ा को दिनांक 27.11.2017 से 26.11.2019 तक शास.चिकि.महा. अंबिकापुर, जिला सरगुजा सामान्य अनूसूचित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र डीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा द्वारा दिया गया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में आवेदन 07.12.2020 को प्राप्त हुआ है। अतः अनुभव के अंक दिया जाना संभव नहीं।	अमान्य
74	173	10557	डॉ. आकांक्षा भाले	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि चिकि.अधि. के 208 पदों पर नियुक्ति के कारण चिकि.अधि. के 300 पदों के अनंतिम मेरिट सूची में मुझे अपात्र घोषित किया गया है। म.प्र. शासन के अधीन 01 वर्ष का स्नातकोत्तर बांड तथा कोविड महामारी के कारण बांड समाप्त करना एवं 15 दिवस के भीतर उपस्थिति देना संभव नहीं था। उक्त आदेश 15 दिवस उपरांत स्वतः निरस्त माने जाने का लेख किया गया। अतः स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अतिरिक्त 05 अंक मेरिट सूची में जोड़े जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा शासन के नियमित नियुक्ति आदेश क्रं. एफ 1-15/2015/17/1 दिनांक 27.10.2020 के तारतम्य में पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दिया है। जिसके कारण वह वर्तमान में नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अतिरिक्त 05 अंक मेरिट सूची में जोड़े जाने का निवेदन किया गया है। जिसके आधार पर पीजी का 05 अंक दिया गया।	मान्य
75	964	10128	डॉ. राकेश कुमार खुंटे	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि मेरा नाम रजि.नं. 10128 पर अंकित है। एम.डी. पैथोलॉजी का रजि. स्लीप अपलोड किया गया था। वर्तमान में छ.ग. मेडिकल काउन्सिल से एम.डी. पैथोलॉजी का पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर पीजी डिग्री का अंक जोड़े जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. राकेश कुमार खुंटे द्वारा छ.ग. मेडिकल काउन्सिल से एम.डी. पैथोलॉजी का पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर पीजी डिग्री का अंक जोड़े जाने का निवेदन किया गया है। जिसके आधार पर पी.जी. के 10 अंक दिया गया।	मान्य
76	390	11309	डॉ. सूर्या विजय साहू	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि सीएमओ कोरिया द्वारा दिनांक 31.05.2018 से 30.05.2019 तक 01 वर्ष का अनापत्ति सह सेवा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि सीएमओ कोरिया द्वारा दिनांक 31.05.2018 से 30.05.2019 तक 01 वर्ष का अनापत्ति सह सेवा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र सी.एम.एच.ओ. कोरिया द्वारा जारी किया गया है एवं नियुक्ति आदेश एन.एच.एम. का है। जिसके आधार पर 01 वर्ष के अनुभव का 03 अंक दिया गया।	मान्य

क्रं.	जारी स. क्रं.	रजि. क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय
77	1127	11269	डॉ. रमेश झा	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि उनके द्वारा छ.ग. के बाहर 02 वर्ष के कार्य का अनुभव है। आई.सी.एम.आर. में दिनांक 10.09.2018 से 31.12.2019 तक अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. रमेश झा द्वारा झारखण्ड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर अनुभव का अंक चाहा गया है। अभ्यर्थी का अनुभव झारखंड का है। जो विज्ञापन में उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आता है। जिसके कारण अनुभव का अंक दिया जाना संभव नहीं है।	अमान्य
78	178	10307	डॉ. दिव्या यादव	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि एन.टी.पी.सी. हॉस्पिटल, जिला कोरबा अंतर्गत चिकि. अधि. पद पर तदर्थ रूप से कार्यरत है। वर्तमान में कोविड-19 के चलते वर्क फ्राम होम से कार्य किया जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र एवं वेतन पत्रक की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।	डॉ. दिव्या यादव, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन संचालित स्वास्थ्य संस्था में कार्यरत नहीं है। जिसके कारण इन्हें अनुभव का अंक दिया जाना संभव नहीं है।	अमान्य

(सही/-)

**(सुश्री भारती चन्द्राकर)**

संयुक्त संचालक सह अध्यक्ष

चयन समिति

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

(सही/-)

**(गिरीश कोल्हे)**

संयुक्त संचालक (वित्त) सह उपाध्यक्ष

चयन समिति

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

(सही/-)

**(डॉ. के.सी. उरांव)**

प्रभारी उप संचालक सह सदस्य सचिव

चयन समिति

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

(सही/-)

**(डॉ. रविशंकर सत्यार्थी)**

प्रभारी उप संचालक सह सदस्य

चयन समिति

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

(सही/-)

**(डॉ. धर्मेन्द्र गहवई)**

प्रभारी उप संचालक सह सदस्य

चयन समिति

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़